कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558
website - tribal.cg.gov.in
E mail - yuvacarriernirman@gmail.com

क्रमांक / रा.यु.उ.यो. / 133 / 2025–26 / 13988 नवा रायपुर दिनांक 25/02/2026

–:: विस्तृत विज्ञप्ति ::–

जिला–बिलासपुर में राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के भाग (B) अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन ''रुचि की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण (वर्ष 2025–26)

––00––

राजीव युवा उत्थान योजनावर्ष 2019 के भाग(B) अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाममूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु विभाग की योजना है। **जिला बिलासपुर** में 100 सीट के लिए कोचिंग कार्य हेतु निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से **''रुचि की अभिव्यक्ति''(Expression of Interest)** अंतर्गत ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है :–

कोचिंग संस्था का चयन प्रशिक्षण दिनांक से 01 वर्ष हेतु किया जायेगा। विशिष्ट परिस्थिति में संस्था का अनुबंध अधिकतम एक वर्ष हेतु और बढ़ाया जा सकेगा।

इच्छुक कोचिंग संस्था 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

1. प्रथम बंद लिफाफा :– संस्था के न्यूनतम आर्हता संबंधी विवरण। (EC-1 से EC-7 तक की जानकारी रखा जाये)
2. द्वितीय बंद लिफाफा :–संस्था के गुणात्मक योग्यता संबंधी विवरण। (इसके अंतर्गत TE-1 से TE- 3 तक की जानकारी रखा जाये)
3. तृतीय बंद लिफाफा :–वित्तीय लिफाफा (इसके अंतर्गत वित्तीय दर का लिफाफा FB-1 रखा जाना है, प्रारूप संलग्न है)

स्कैन कर अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रमुख की पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर होना चाहिए। संस्था के न्यूनतम अर्हता संबंधी दस्तावेजों के पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा (गुणात्मक योग्यता) एवं तृतीय लिफाफा (वित्तीय लिफाफा) ऑनलाईन खोला जाएगा।

संस्था के चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। जिसमें गुणात्मक मूल्यांकन के 70 प्रतिशत एवं वित्तीय दर की 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर गणना कर संस्थाओं का चयन मेरिट क्रम में समिति के द्वारा किया जायेगा।

गुणात्मक मूल्यांकन :—न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही गुणात्मक मूल्यांकन किया जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा :—

क्र.	विवरण	अधिकतम निर्धारित अंक
1	a. संस्था की अधोसंरचना एवं सुविधाओं के आधार पर	**10**
	b. कोचिंग संस्था का प्रशासनिक सेवा की कोचिंग के क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के आधार पर। न्यूनतम 03 वर्ष पर 05 अंक तत्पश्चात् प्रत्येक 05 वर्ष हेतु 01 अंक, अधिकतम 10 अंक तक	**10**
2	कोचिंग संस्था द्वारा छ.ग. राज्य में संबंधित शासकीय प्रोजेक्ट अंतर्गत कोचिंग में कार्य करने का अनुभव (प्रत्येक वर्ष अनुभव के लिए 01 अंक)	**05**
3	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षो (2022—23, 2023—24 एवं 2024—25) में दी गई कोचिंग से छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों (विद्यार्थी का चयन पत्र संलग्न होना चाहिए) के विवरण के आधार पर। इस हेतु संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। ➢ उपरोक्त 3 वर्षों में कुल अंतिम चयन पर प्रत्येक 3 चयनित विद्यार्थी पर 1 अंक (3 से कम अंतिम चयन होने पर अंक देय नहीं होगा)	**20**
4	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसारः— (शिक्षक की योग्यता हेतु अधिकतम **15 नंबर** एवं शिक्षक का अनुभव हेतु अधिकतम **5 नंबर**) ➢ अनिवार्य 05 शिक्षक (गणित एवं तार्किक शक्ति), भाषा (छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी), मानविकी संकाय, विज्ञान संकाय एवं समसमायिकी) ➢ (अनिवार्य 05 शिक्षक के अतिरिक्त संबंधित विषय के शिक्षक हेतु प्रति विषय शिक्षक 01 अंक, **अधिकतम 05 अंक)** (पीएससी कोचिंग अध्यापन संबंधित अनुभव के ही अंक प्रदाय किये जायेंगे इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित कोचिंग संस्थान/फर्म के लेटर हेड पर अधिकृत स्वामी/साझेदार द्वारा जारी किया होना चाहिए।) तथा यह भी उल्लेख हो कि ये शिक्षक/फैकल्टी हमारे फर्म के पे—रोल पर दर्ज होकर वेतन/मानदेय प्राप्त किये है या कर रहें है। (शिक्षक की योग्यता के अंको का निर्धारण परिशिष्ट TE-2)	**25**
5	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति हेतु प्रेजेन्टेशन के आधार पर (अधिकतम 15 अंक), प्रतियोगी परीक्षा संबंधित पुस्तकों एवं स्टडी मटेरियल आदि के आधार पर (अधिकतम 05 अंक)	**20**
6	कोचिंग संस्था/फर्म का टर्न ओव्हर के आधार पर (रूपये 50.00 लाख या अधिक रूपये 75.00 लाख तक—05 नंबर, रूपये 75.00 लाख से अधिक एवं रूपये 100.00 लाख तक—7.5 नंबर तथा रूपये 100.00 लाख से अधिक होने पर—10 नंबर) **नोटः**—रूपये 50.00 लाख से कम टर्न ओवर होने पर संस्था के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।	**10**

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्ते, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in तथा ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते है। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रूपये 5000/– (शब्दों में पांच हजार मात्र) तथा जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।

<u>अमानत राशिः–</u> संस्था अमानत राशि (एफ.डी.आर.) रूपये 1.00 लाख आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के पक्ष में हो, प्रथम लिफाफा में स्कैन कर संलग्न करे तथा मूल प्रति कार्यालय में जमा करें। यह अमानत राशि निविदा पूर्ण होने के पश्चात् सफल निविदाकार को छोडकर शेष को वापस लौटा दी जायेगी।

<u>सुरक्षा निधिः–</u> भंडार क्रय नियम अंतर्गत सफल निविदाकार को कार्यादेश प्रदान करने के पूर्व कुल निविदा मूल्य का 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि जमा करना होगा।

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के तहत् प्रस्ताव जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

1	रूचि की अभिव्यक्ति का ऑनलाईन प्रदर्शन की तिथि	~~26~~ 27.02.2026 दोपहर 02:00 बजे से
2	रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting	09.03.2026 दोपहर 02:00 बजे
3	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि	28.03.2026 सायं 5:00 बजे तक
4	प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना	30.03.2026 दोपहर 12:00 बजे
5	तकनीकी मुल्याकंन एवं अन्य कार्यवाही/जानकारी की सूचना	पृथक से दी जावेगी

''रूचि की अभिव्यक्ति'' के संबंध में PreBid Meeting तिथि से 48 घण्टे (02 दिवस) पहले तक जो भी अपत्ति हो ई–मेल yuvacarriernirman@gmail.com पर पत्र के माध्यम से कार्यालय को सूचित करना होगा। पत्र में अपत्ति की गई विषय वस्तु के अतिरिक्त किसी भी विषय पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

अन्य कार्यवाही एवं तिथियों में परिवर्तन की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पृथक से विभागीय वेबसाईट पर दी जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं नियमावली हेतु विभागीय वेबसाईट https://tribal.cg.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।

कोचिंग संस्थाओं को राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के भाग(B) अंतर्गत उल्लेखित/वर्णित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

जिला–बिलासपुर में राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2025–26)

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 18654 D दिनांक 27/02/26 के संदर्भ में)

भाग–एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम आर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेखका पृष्ठ क्र. अंकित करें
1.	(i) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनिमय 1973/कम्पनीज एक्ट/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। (ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। (iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन (PAN), टेन (TAN) एवं छत्तीसगढ़ राज्य का जी.एस.टी. (GST) पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिए तथा इसका स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे। कार्य प्राप्त होने पर छ.ग. के GSTN से ही बिलिंग किया जाना होगा।	
3.	(i) कोचिंग संस्था/फर्म का कोचिंग कार्यो का वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का औसत टर्न ओव्हर 50.00 लाख या अधिक होना चाहिए। **टर्न ओव्हर में संस्था द्वारा प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग कार्यों का विवरण होना चाहिए।** संस्था/फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप उक्त 03 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। वर्ष 2024–25 का ऑडिट पूर्ण न होने की स्थिति में ऑडिटर से टर्न ओव्हर प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो से संबंधित टर्न ओवर का पृथक –पृथक उल्लेख होगा। (ii) माह जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 का जमा किये गयेजी.एस.टी. का विवरण (सत्यापित अभिलेख)। (iii)उक्त 03 वर्षो की आयकर रिटर्न**(IT RETURN)**की सत्यापित प्रति।	
4.	अमानत राशि के रूप में प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित राशि रू 1.00 लाख का एफ.डी.आर. आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर के पक्ष में हो, संलग्न करे।	
5.	आवेदन शुल्क हेतु 5000/–जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।	
6.	फेंचाइजी/संघ/संयुक्त उद्यम वाले कोचिंग संस्था/फर्म/कंपनी मान्य नहीं होंगे।	
7.	निविदा प्रकाशन दिनांक की स्थिति में भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग संस्था/फर्म को काली सूची में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हो। इस संबंध में संलग्न EC-07 के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

प्रथम लिफाफा हेतु (EC–1 से EC–7 तक)

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के मूल्यांकन हेतु संलग्न किय जाने वाले अभिलेखों की जानकारी

परिशिष्ट–EC–1

कोचिंग संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र

परिशिष्ट–EC–2

कोचिंग संस्था का जीवित **PAN** एवं **TAN** प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट–EC–3

छ.ग. राज्य का जीवित **GSTIN** प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट–EC–4

वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का **IT RETURN** प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट–EC–5

कोचिंग संस्था/फर्म के टर्न ओव्हर संबंधी (CA) का प्रमाण पत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट।

(वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था/फर्म का नाम तथा पता .... का आडिट रिपोर्ट का मैंने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर प्रशासनिक सिविल सेवाओं के कोचिंग से संबंधित टर्न ओव्हर निम्नानुसार है:–

क्र.	वर्ष	टर्न ओव्हर (राशि लाख में)
1	2022–23	
2	2023–24	
3	2024–25	

कोचिंग संस्था/फर्म के
संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

Signature of Statutory Auditor
With Seal
UDIN NO.

परिशिष्ट –EC–6
पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र (वर्ष 2025–26)
(50 रू. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईजड)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. द्वारा जारी ''रूचि की अभिव्यक्ति'' क्रमांक................................दिनांक .... के संबंध में हमारी फर्म / संस्था ....पता.................... ....की ओर से मैं ....आत्मज............. ....पता...उम्र........................ आधार क्रमांक.............................. .... फर्म में हैसियत (पद) ....से अधिकृत होकर नाम...................................... आत्मज..पूरा पता .... आधार क्रमांक...को फर्म / कम्पनी / संस्था की ओर से इस प्रकाशित ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डिस्कशन / बैठक में शामिल होने / निगोशियेशन / अनुबंध करने तथा इस प्रोजेक्ट के संचालन करने हेतु अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के न्यायालयीन या अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन किया जाता है जो इसके लिए हमारे फर्म पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

फर्म के मालिक / साझेदार / संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील
(जो कंपनी / फर्म के बॉयलॉज अनुसार
Power of Attorney जारी करने हेतु सक्षम)

गवाह के हस्ताक्षर

परिशिष्ट –EC–7

कोचिंग फर्म/संस्था/कम्पनी को काली सूची/खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण–पत्र (Self Declaration)(वर्ष 2025–26) (रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी... पूरा पता ....की ओर से मैं.................................... .... (संचालक का नाम) आज दिनांक .... की स्थिति में घोषणा करता हूँ कि किसी भी शासन विभाग स्थानीय प्रशासन/एजेंसी छत्तीसगढ़/भारत देश/भारत देश से बाहर हमारे फर्म को किसी भी कारण से कार्य करने से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही हमारी संस्था पर किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी के ऊपर किसी भी प्रकार के खराब प्रदर्शन अथवा कोचिंग संस्था में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का निराकरण कर लिया गया है तथा कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी स्तर पर गलत, मिथ्यापूर्ण जानकारी पाए जाने पर विभाग द्वारा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर दिये जाने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। इस पर मैं सहमति प्रदान करता हूँ।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक के हस्ताक्षर एवं सील

गवाह के हस्ताक्षर

तकनीकी मुल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखो की जानकारी (TE-1से TE-3तक)

भाग – दो (द्वितीय लिफाफा)

परिशिष्ट–TE-1

संस्था का सामान्य परिचय–(पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) जिला बिलासपुर स्थित कोचिंग संस्था का नामः ....

(ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता : ....

: ....

(स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है, विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक : ....

3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनी के अंतर्गत संचालित है तो :–

(अ) समिति/कंपनी का नाम : ....

(ब) समिति/कंपनी के कार्यालय : ....

का पूर्ण पता : ....

(स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

4. (अ) समिति/कंपनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है : ....

(पूर्ण विवरण देंवे) : ....

(ब) समिति/कंपनीका एक्ट के अंतर्गत जीवित पंजीयन क्रमांक : ....

(स) समिति/कंपनी का वैद्यता दिनांक : ....

(द) समिति/कंपनी के गवर्निंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ....

(इ) समिति/कंपनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक : ....

(फ) समिति/कंपनी के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, : ....

सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता : ....

मोबाईल नंबर सहित : ....

5. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस प्रभाग की मान्यता प्राप्त है, तथा किस अवधि तक के लिए वैध है के बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....

6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :–

(अ) इन्चार्ज का नाम : ....

(ब) शैक्षणिक अर्हता : ....

(स) अनुभव : ....

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

परिशिष्ट–TE-2

कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें
1.	कोचिंग संस्था की अधोसंरचना एवं सुविधाएं (अभिलेख संलग्न करें।)	
2	कोचिंग संस्था का प्रशासनिक क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग प्रदान करने का अनुभव	
3.	कोचिंग संस्था द्वारा प्रकाशित किताबों/स्टडी मटेरियल/नोट्स तथा टेस्ट पेपर (प्रिंटेड) की एक–एक प्रति। (सूची स्कैन कर संलग्न करे एवं किताबों/स्टडी मटेरियल की मूल प्रति कार्यालय में जमा करें)	
4.	कोचिंग संस्था से छ.ग. राज्य द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विगत03 वर्षो (2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची।	

(क) :– संख्यात्मक चयन की जानकारी:–

क्र.	वर्ष	कोचिंग में सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या (आडिट में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर)	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का प्रतिशत
योग					

(ख) :– उपरोक्त में से अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की सूची :–

क्र.	विद्यार्थी का नाम	छ.ग. राज्य द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा हेतु आवंटित रोल नं	अंतिम रूप से चयनित पद	मोबाईल नबंर	चयन वर्ष	संलग्न अभिलेख

नोट :– वर्षवार पृथक–पृथक कॉलम में जानकारी देवे। केवल ऐसे विद्यार्थी संस्था से प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु पंजीकृत हुए है, के अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को ही शामिल किया जाये। अंतिम रूप से चयन का प्रमाण हेतु लोक सेवा आयोग से जारी पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

5 कोचिंग संस्था के फैकल्टी का विवरण जिन्हें राज्य द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग/प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता (स्नातक / स्नाकोत्तर/अन्य)	अनुभव	अध्यापन का विषय

(EOI में दिये गये फैकल्टी की अनुपस्थिति/छोड़ने की स्थिति में EOI में उल्लेखित योग्यता अनुसार subtitute फैकल्टी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में subtitute फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिमाह प्रति subtitute फैकल्टी के मान से रूपये 10,000/– पैनाल्टी कटौती की जायेगी। फैकल्टी का subtitution संबंधित विषय के लिए एक बार ही लागू होगा। एक बार से अधिक subtitution की स्थिति में प्रति फैकल्टी रूपये 25,000/– पैनाल्टी कटौती की जायेगी)

परिशिष्ट–TE-2

कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु

कॉलम नंबर 5 पर अंकित योग्यता हेतु अंको का निर्धारण निम्नानुसार हैः–

योग्यता	स्नातक		स्नाकोत्तर	पीएससी	पीएससी	अध्यापन
	45 % से अधिक एवं 59.99% तक	60 % से अधिक	65%से ऊपर	प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त	मुख्य परीक्षा उपरांत साक्षात्कार में शामिल होने हेतु अर्हता	अनुभव प्रतिवर्ष हेतु 01 अंक अधिकतम 05
अंक	02	04	03	03	05	05

- प्रत्येक शिक्षक उपरोक्तानुसार मूल्यांकन करने के पश्चात् शिक्षकों की संख्या के आधार पर औसत मूल्यांकन अंक प्रदाय किया जायेगा।

क	विषय	न्यूनतम योग्यता
1	गणित एवं तार्किक शक्ति	एमएससी (गणित)/बीई/बीटेक
2	भाषा	एमए (हिन्दी/छत्तीसगढ़ी)
3	मानविकी संकाय	एमए (इतिहास/दर्शनशास्त्र/समाजशास्त्र/अर्थशास्त्र/राजनीतिक शास्त्र/मानव विज्ञान/भूगोल एवं समतुल्य)
4	विज्ञान संकाय	एमएससी (वनस्पति विज्ञान/प्राणी शास्त्र)
5	समसमायिकी	किसी भी विषय मे स्नातकोत्तर

एक या एक से अधिक बार स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर नंबर केवल एक ही बार जोड़ा जायेगा। पीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हेतु तथा पीएससी मुख्य परीक्षा उपरांत साक्षात्कार में शामिल होने हेतु अर्हता का प्रमाण पत्र का पी.एस.सी. द्वारा जारी परीक्षा परिणाम/जारी किया गया पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करना होगा।

<u>नोट</u> :–कोचिंग देने वाले सभी शिक्षकों का बायोडाटा तथा अंक सूची/डिग्री की कोचिंग संस्था प्रमुख तथा संबंधित शिक्षक द्वारा संयुक्त सत्यापित (छायाप्रति) संलग्न किया जाये। अस्पष्ट दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा। तद्संबंध में परिशिष्ट TE-3 प्रारूप में नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

परिशिष्ट–TE-3

संस्था/फर्म/कंपनी के स्वामी या स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की घोषणा(वर्ष 2025–26)

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

मैं ....फर्म के स्वामी/स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (अपनी स्थिति स्पष्ट लिखा जाए) हूँ और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा वर्ष 2025–26 में कोचिंग संस्था का चयन के संबंध मेंआवेदन पत्र के **भाग–एक एवं भाग–दो** में दर्शायी गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण/अभिलेख मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि अभिलेख/दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

2. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये स्टडी मटेरियल गुणवत्तापूर्ण एवं अद्यतन है तथा यह छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है।

3. मैं छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग) राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 एवं ''रुचि की अभिव्यक्ति'' में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभाँति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशो का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक : ....
स्थान : ....

हस्ताक्षर/मोहर सहित

टीप :– प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों को सत्यापित करते हुए संस्था संचालक/संस्था प्रमुख का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

जिला–बिलासपुर में राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2025–26)

परिशिष्ट –FB-1

तृतीय लिफाफा (वित्तीय लिफाफा)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक......................दिनांक..................के संदर्भ में)

(राशि रूपये में)

क्र.	कार्य का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का जिला	प्रस्तावित राशि समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित (दर प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष)	
			अंको में	शब्दों में
1.	छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग), राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 की कंडिका 9 में दर्शाये गये दायित्वों सहित	बिलासपुर		

उपरोक्त दर समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित है तथा उपरोक्त दर या निगोशियेशन उपरांत दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

नोट :– राशि का भुगतान राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के भाग (B) की कंडिका 10 एवं अनुबंध में निहित शर्तो के अनुसार किया जावेगा। जिसमें 75 प्रतिशत राशि 03 किस्तों में किया जावेगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 20 प्रतिशत राशि देय होगी ।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 15 प्रतिशत राशि देय होगी ।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 10 प्रतिशत राशि देय होगी ।
- उपरोक्तानुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अंतिम किश्त की सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि देय नहीं (कटौती योग्य) होगी ।

टीपः– किसी शासकीय बाधा या संकटकालीन स्थिति के कारण परीक्षा के जिस स्तर तक विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुआ, उसके आधार पर अंतिम किश्त का निराकरण समिति के निर्णयानुसार किया जाएगा।

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सक्षम प्राधिकारी होंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)